

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/32/2026-DGTR

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक 30 सितंबर, 2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. CVD/OI/004/2026

विषय: इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अलेपित लेखन एवं मुद्रण कागज के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/32/2026-DGTR: इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे इसमें इसके पश्चात “आवेदक” अथवा “आईपीएमए” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात “अधिनियम” भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात “नियमावली” अथवा “सब्सिडीरोधी नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें इंडोनेशिया (जिसे इसमें इसके पश्चात “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, लेखन, मुद्रण एवं ग्राफिक प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किस्म के वर्जिन काष्ठ लुगदी से निर्मित अलेपित कागज, अछिद्रित पंच कार्ड एवं पंच टेप कागज, जो शीट, रोल, रील अथवा किसी अन्य रूप में हो तथा जिसका जीएसएम 150 तक एवं सहित हो (जिसे इसमें इसके पश्चात “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है), के सब्सिडीकरण का आरोप लगाया गया है।

1. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देश की सरकार द्वारा, जिसमें उन विभिन्न प्रांतों एवं नगरपालिकाओं की सरकारें, जहां उत्पादक/निर्यातक अवस्थित हैं, तथा अन्य 'सार्वजनिक निकाय' शामिल हैं, विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई अनुयोज्य सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है। आवेदक ने सार्वजनिक क्षेत्र में यथाउपलब्ध संबंधित कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों एवं सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं पर, तथा उन विभिन्न जांच प्राधिकारियों के निर्धारणों पर विश्वास किया है जिन्होंने ऐसी स्कीमों की जांच की है और प्रतिकार्य सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला है। आवेदक ने आगे यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कथित सब्सिडीकृत विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर सब्सिडीरोधी शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध किया है।

A. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद लेखन, मुद्रण एवं ग्राफिक प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किस्म के वर्जिन काष्ठ लुगदी से निर्मित अलेपित कागज, अछिद्रित पंच कार्ड एवं पंच टेप कागज है, जो शीट, रोल, रील अथवा किसी अन्य रूप में हो तथा जिसका जीएसएम 150 तक एवं सहित हो। ऐसे कागज (अथवा पेपरबोर्ड) लेपित कागज की तुलना में अपनी अपेक्षाकृत खुरदरी, अधिक संरंध एवं अवशोषक बनावट के कारण सूचना के संप्रेषण, दस्तावेज तैयार करने तथा उच्च गुणवत्ता वाली छवि के पुनरुत्पादन हेतु उपयुक्त होते हैं। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्णतः वर्जिन काष्ठ लुगदी से निर्मित अलेपित लेखन एवं मुद्रण कागज तक सीमित है।
3. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में, अन्य बातों के साथ-साथ, मैपलिथो, वुड-फ्री कागज, मुद्रण कागज, लेखन कागज, ड्राइंग कागज, लिथोग्राफिक कागज, ऑफसेट कागज, डुप्लीकेटिंग कागज, लेखा बही कागज, लिफाफा कागज, नोटबुक कागज, कैलेंडर कागज आदि के रूप में आयातित कोई भी उत्पाद शामिल है।

4. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित को विशेष रूप से बाहर रखा गया है:
- a. 150 से अधिक जीएसएम वाला अलेपित कागज अथवा पेपरबोर्ड
 - b. कट-साइज कॉपियर कागज
 - c. करेंसी नोट कागज
 - d. एयरमेल कागज
 - e. फोटोग्राफिक बेस कागज, अलेपित
 - f. बैंक एवं चेक कागज
 - g. स्टाम्प कागज
 - h. स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन कागज
 - i. टिश्यू कागज
 - j. रैपिंग कागज
 - k. डेकोर कागज
 - l. फिल्टर कागज
 - m. फ्लूटिंग कागज
 - n. वॉलपेपर (दीवारों पर लगाने हेतु)
 - o. पोस्टर कागज
 - p. क्राफ्ट कागज
 - q. पुनर्चक्रित लुगदी अथवा कृषि-अपशिष्ट से निर्मित अलेपित लेखन एवं मुद्रण कागज
 - r. लेखन एवं मुद्रण से भिन्न अनुप्रयोगों हेतु प्रयुक्त किस्म का फाइन कागज
 - s. अखबारी कागज
5. कागज अथवा पेपरबोर्ड उत्पाद के जीएसएम के आधार पर विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु उपयुक्त हो सकता है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के सर्वाधिक सामान्य अनुप्रयोगों में लेखन कागज, मुद्रण कागज, स्टेशनरी एवं कार्यालय, प्रकाशन तथा विपणन अथवा पैकेजिंग शामिल हैं।
6. संबद्ध वस्तु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 48, शीर्ष 4802 के अंतर्गत वर्गीकृत है। संबद्ध वस्तु का आयात मुख्यतः एचएस कोड 4802 20 90, 4802 54 20, 4802 55 10, 4802 55 90, 4802 56 90, 4802 57 10, 4802 57 90, 4802 61 10 तथा 4802 61 90 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क

वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. घरेलू उद्योग ने वर्तमान चरण में कोई पीसीएन प्रस्तावित नहीं किया है। वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद तथा प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हों, पर अपनी टिप्पणियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि(यों) को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ एवं संबंधित प्रश्नावली(यां) युक्त सूचना पत्र प्रेषित किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

B. समान वस्तु

8. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ सभी दृष्टियों से तुलनीय है, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताएं शामिल हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु की “समान वस्तु” माना जा रहा है।

C. घरेलू उद्योग एवं आधार

9. यह आवेदन आईपीएमए द्वारा दायर किया गया है। आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “आवेदक घरेलू उत्पादक” भी कहा गया है) ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ अपने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।
 - a. बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
 - b. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड
10. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है:

- a. आंध्र पेपर लिमिटेड
 - b. सेंचुरी पल्प एंड पेपर
 - c. जेके पेपर लिमिटेड
 - d. ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - e. स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड
11. आवेदक घरेलू उत्पादकों एवं समर्थकों के अतिरिक्त भारत में संबद्ध वस्तु के तीन अन्य घरेलू उत्पादक हैं, नामतः आईटीसी लिमिटेड, पुडुमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड तथा सतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
12. आवेदक घरेलू उत्पादक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी आवेदक घरेलू उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
13. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा आवेदन की जांच के पश्चात, प्राधिकारी का यह मत है कि जांच की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन में आवेदक घरेलू उत्पादकों का एक बड़ा अनुपात है तथा वे नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करते हैं, और आवेदन सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 6(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- D. संबद्ध देश**
14. वर्तमान आवेदन इंडोनेशिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सब्सिडीकृत आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

E. जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तथा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि एवं जांच की अवधि शामिल होगी।

F. कथित सब्सिडीकरण का आधार

16. आवेदक ने आरोप लगाया है कि इंडोनेशिया सरकार विभिन्न प्रतिकार्य सब्सिडी कार्यक्रम संचालित करती है। घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि यह दर्शाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध वस्तु के निर्यातकों ने पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान, कर एवं वैट प्रोत्साहनों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रोत्साहनों, निर्यात प्रोत्साहनों तथा अधिमानी ऋणों के रूप में सब्सिडी प्राप्त की है, जिनसे लाभ प्रदत्त होता है तथा जो इंडोनेशिया में सभी कंपनियों को सामान्यतः उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्राप्त होता है कि नीचे उल्लिखित कार्यक्रम सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय संबंधी करार तथा सब्सिडीरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अनुयोज्य सब्सिडी का गठन करते हैं।
17. आवेदक ने आरोप लगाया है कि निम्नलिखित सब्सिडी कार्यक्रम इंडोनेशिया सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों एवं निर्यातकों को इनसे लाभ प्राप्त हुआ हो सकता है:

I. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम

1. कार्यक्रम सं. 1 - पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर खड़ी इमारती लकड़ी का प्रावधान
2. कार्यक्रम सं. 2 - लट्ठों के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध
3. कार्यक्रम सं. 3 - पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि का प्रावधान
4. कार्यक्रम सं. 4 - पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत का प्रावधान

II. कर एवं वैट प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम

5. कार्यक्रम सं. 5 - आयकर में कमी

6. कार्यक्रम सं. 6 - आयात शुल्क से छूट
7. कार्यक्रम सं. 7 - कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से छूट
8. कार्यक्रम सं. 8 - वैट से छूट
9. कार्यक्रम सं. 9 - त्वरित मूल्यहास अथवा परिशोधन
10. कार्यक्रम सं. 10 - भूमि एवं भवन कर से राहत
11. कार्यक्रम सं. 11 - कर अवकाश
12. कार्यक्रम सं. 12 - कॉर्पोरेट आयकर में कटौती
13. कार्यक्रम सं. 13 - लाभांश पर आयकर में कमी

III. विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रोत्साहनों का प्रावधान

14. कार्यक्रम सं. 14 - विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं हेतु रियायती कर
15. कार्यक्रम सं. 15 - पूंजीगत वस्तुओं एवं उपकरणों पर आयात शुल्क का आस्थगन
16. कार्यक्रम सं. 16 - निवल कर योग्य आय में कमी
17. कार्यक्रम सं. 17 - राजकोषीय मूल्यहास एवं परिशोधन कटौतियों में त्वरण
18. कार्यक्रम सं. 18 - हानियों को आगे ले जाना
19. कार्यक्रम सं. 19 - भूमि कर में कटौती

IV. निर्यात प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम

20. कार्यक्रम सं. 20 - इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा निर्यात सुविधा हेतु लाभ
21. कार्यक्रम सं. 21 - निर्यात ऋण गारंटी
22. कार्यक्रम सं. 22 - आयात शुल्क वापसी

V. अधिमानी ऋणों के रूप में कार्यक्रम

23. कार्यक्रम सं. 23 - बैंक मंदिरी द्वारा प्रदान किए गए अधिमानी ऋण

18. उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी किसी भी अन्य सब्सिडी की जांच करेंगे जिसका अस्तित्व पाया जाए अथवा जिसका लाभ संबद्ध वस्तु के उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा क्षति अवधि के दौरान उठाया गया हो।

G. परामर्श

19. सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपाय संबंधी करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार, इंडोनेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 22 सितंबर 2026 को जांच शुरुआत-पूर्व परामर्श आयोजित किया गया। इंडोनेशिया सरकार ने अपनी लिखित टिप्पणियां भी प्रस्तुत की हैं। प्राप्त टिप्पणियों को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है तथा प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है, और जांच के दौरान भी उन पर विधिवत विचार किया जाएगा।

H. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से कथित सब्सिडीकृत आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय से प्राप्त सौदेवार आयात आंकड़ों के आधार पर, जांच की अवधि में संबद्ध आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के सापेक्ष, दोनों प्रकार से वृद्धि हुई है, और ये भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का लगभग दो-तिहाई हैं। संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य क्षति अवधि के दौरान घटा है, क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम रहा है तथा जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी नीचे आ गया है। संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण एवं ह्रास हुआ है, और घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में हुई वृद्धि की वसूली करने में असमर्थ रहा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि हुई है, उसकी नियोजित पूंजी पर आय में तीव्र गिरावट आई है तथा उसकी मालसूची में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से कथित सब्सिडीकृत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति दर्शाते हैं।

I. जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के उत्पादन एवं निर्यात पर प्रतिकार्य सब्सिडी के अस्तित्व, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे कथित सब्सिडीकरण एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करने वाले, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा कथित सब्सिडीकरण के अस्तित्व, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा सब्सिडीरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने हेतु जांच आरंभ करते हैं, जो यदि अधिरोपित की जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने हेतु पर्याप्त होगी।

J. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत यथाउल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

K. सूचना का प्रस्तुतीकरण

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर स्वयं को पंजीकृत करें। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संप्रेषण एवं प्रस्तुतियां सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी CVD/OI/004/2026 के अंतर्गत अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग सर्वेबल पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो तथा डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में संबद्ध वस्तु से जुड़े ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र एवं रीति में सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस

जांच शुरुआत अधिसूचना, सब्सिडीरोधी नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं रीति में दायर की जानी चाहिए।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र एवं रीति में वर्तमान जांच से संगत प्रस्तुतियां कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार से अपेक्षित है कि वह उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।
26. हितबद्ध पक्षकारों को आगे निदेश दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना हेतु व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) तथा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) का नियमित रूप से अवलोकन करें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे की प्रगति से अवगत रहने हेतु तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं एवं ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं की जानकारी रखने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) का नियमित रूप से अवलोकन करें।

L. समय-सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (सीवी) तथा अगोपनीय पाठ (एनसीवी), नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि(यों) को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ एवं संबंधित प्रश्नावली(यां) युक्त सूचना पत्र प्रेषित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी

रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दायर करें।
29. पीयूसी के दायरे/पीसीएन कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां दायर करने हेतु 15 दिनों की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपर्युक्त पैराग्राफ 27 में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
30. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से पीयूसी एवं पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी एवं पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच की शुरुआत के पश्चात पीयूसी एवं पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 15 दिनों के विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से आगे समय के और विस्तार हेतु अनुरोधों पर, नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
31. समय-विस्तार हेतु कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मूल अंतिम तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के पश्चात प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

M. अगोपनीय आधार पर सूचना का प्रस्तुतीकरण

32. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले किसी भी पक्षकार से अपेक्षित है कि वह सब्सिडीरोधी नियमावली

के नियम 8(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुरूप उसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करे। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

33. प्रश्नावली उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुलग्नकों सहित) करने वाले पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे गोपनीय एवं अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करें। यदि प्रस्तुति अनेक भागों में की जाती है, तो प्रत्येक भाग में सभी भागों/ईमेलों एवं संलग्न दस्तावेजों की विषय-वस्तु दर्शाने वाली एक अनुक्रमणिका तालिका उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है। कृपया सभी प्रस्तुतियों पर पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।
34. जहां मूल दस्तावेज अंग्रेजी अथवा हिंदी से भिन्न किसी भाषा में हों, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ उनका सही अनूदित पाठ उपलब्ध कराया जाए।
35. “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर उन्हें स्पष्ट रूप से “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसे चिह्नांकन के बिना की गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे।
36. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो स्वरूपतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके गोपनीय होने का दावा उसका प्रदाता करता है। जिस सूचना के स्वरूपतः गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके संबंध में सूचना प्रदाता से अपेक्षित है कि वह प्रदत्त सूचना के साथ इस बारे में एक उचित कारण विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना अपेक्षित है, जिसमें गोपनीय सूचना को, जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया

गया है उसके अनुसार, अधिमानतः सूचीकृत अथवा रिक्त (यदि सूचीकरण व्यवहार्य न हो) किया गया हो तथा उसका सारांश दिया गया हो।

38. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार की युक्तिसंगत समझ हो सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार किया जाना संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति में सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार, ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
39. हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के विषय पर दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
40. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट होते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसके सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
41. किसी सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे पर सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार उचित कारण विवरण के बिना की गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
42. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार करने पर, प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसका प्रकटन किसी भी पक्षकार के समक्ष नहीं करेंगे।

N. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

O. असहयोग

44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है अथवा अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 30-09-2026
13:14:51

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी